Exh. 3725
@ portion 'A'

27606

29990

IN THE COURT OF SPECIAL JUDGE AT GR. BOMBAY

MCOC/~~MPID/TADA/CBI/ACB~~/ SPECIAL CASE NO. 4/09

CR No 152/08

The State

V/S

mohammed sajid marghoob Ansari

CERTIFIED COPY OF FOLLOWING DOCUMENTS:

Confessional statement of Accd. Sadiq Israr Shaikh.

Dawant
Asstt. Superintendent
City Sessions Court
Greater Bombay

CERTIFIED copy supplied on payment of usual charges Vide Receipt No 0127048 20/12/11
O-1582

Copy applied on 20/12/11
Copy ready on 18/9/12
Copy despatched or delivered 3/10/12 3/10/12

COURT OF THE SPECIAL JUDGE GREATER BOMBAY

A/2 (1)

(27607) 147 (29991)

CONFIDENTIAL

No. A/Confdl/911 of 2008.
Office of the Chief Metropolitan
Magistrate, Esplanade, Mumbai.
Date: 18-10-2008.
20

From:
S.N.Chinchambekar,
I/C: Chief Metropolitan Magistrate,
Esplanade, Mumbai.

To,
The Hon'ble Special Judge,
Under M.C.O.C.Act,
City Civil and Sessions Court,
Greater Mumbai.

Asstt. Superintendent
City Sessions Court
Greater Bombay

CERTIFIED copy supplied on payment of usual charges
Vide Receip No. O-5582 O-27048 20/12/11

Copy applied on 20/12/11
Copy ready on 18/9/12
Copy despatched on 3/10/12
delivered 3/10/12

Subject: Production of accused Mohammad Sadique Israr Ahmed Shaikh age 33 yrs. whose confessional has been recorded under provision of section 18 of M.C.O.C. Act,1999 in C.R No.152/08(Matunga Police Station C.R. No.314/08) U/s 295(A), 505(2)506(2), 507, 120(B),121,122,286 I.P.C. r/w 3,25 of Indian Arms Act r/w 6, 9(B) Explosives Act 1884 r/w 4,5 Explosives Substances Act 1908 r/w 10,13 of Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 r/w 66 of Information Technology Act 2000 r/w 3(1)(ii),3(2),3(4) of M.C.O.C. Act, 1999.

Ref : Letter bearing O.W.No.3592/Unit-VI/Zone-I/08 dtd.18-10-2008 from Office of Dy.Commissioner of Police, Zone-I, Mumbai.

Respected Sir,

The accused Mohammad Sadique Israr Ahmed Shaikh age 33 years, concerned in DCB CID C.R.No. 152/08 is produced before me at 4 p.m. by P.S.I.Shri.Nitin Kakde of Colaba Police Station, Mumbai, with a letter addressed to me along with two sealed envelope stating the envelope is containing confessional statements Part-I and Part-II made by the accused in compliance of provisions of Section 18 of Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 recorded by

COURT OF THE SPECIAL JUDGE GREATER BOMBAY

Shri.Vishwas Nangare Patil-.Dy..Commissioner of Police, Zone-I,, Mumbai. Then I asked P.S.I.Shri.Kakde and other staff to go out of my chamber so that they cannot hear and see what accused is stating before me.

I called stenographer in my chamber for dictation. After opening the sealed cover at 4.5 p.m. I read over the contents of statement of accused of Part-I recorded on 15-10-2008 by Shri.Vishwas Nangare Patil -. Dy.Commissioner of Police, Zone-I, Mumbai. He has stated that it is correctly recorded bearing his signatures.

Then I read over the contents of statement of accused of Part-II recorded by Shri.Vishwas Nangare Patil - Dy. Commissioner of Police on 18-10-2008. He admitted the said statement in toto bearing his signatures. Therefore, the original statements recorded by Dy.Commissioner in Part-I and Part-II are resealed by me and they are sent herewith in a sealed cover. Statement of accused recorded by me is also sent herewith.

Yours faithfully,

(S.N.Chinchambekar.)
I/C: Chief Metropolitan Magistrate,
Esplanade,Mumbai..
18-10-2008.

Encl.
1. Two sealed envelope containing confessional statements of accused Part-I and Part-II.
2.Statement of accused recorded by me.

COURT OF THE SPECIAL JUDGE GREATER BOMBAY

MCOC Case No. 21 D.C. 149
Exhibit No. 3725 (22609)
Y.D.S
SPL Judge (29993)
City Civil and Sessions Court
Gr. Bombay

Ref:DCB CID C.R.No.152/08 (Matunga Police Station C.R.No.314/08) U/s 295(A), 502(2)506(2),507,120(B),121,122,286 I.P.C. r/w 3,25 of Indian Arms Actr/w 6,9(B)Explosives Act 1884 r/w 4,5 Explosives Substances Act 1908 r/w 10,13 of Unlawful Activities(Prevention) Act 1967 r/w 66 of Information Technology Act 2000 r/w 3(1)(ii), 3(2), 3(4) of M.C.O.C. Act,1999.

Statement of accused Mohmmad Sadique Israr Ahmed Shaikh age 33 yrs.

Accused is produced before me in veil. The confessional statements of the accused made before Shri.Vishwas Nangare Patil - Dy Commissioner of Police, Zone-I, Mumbai is entirely read over to the confessioner. The confessioner has admitted the contents of it in toto as those were stated before the Dy.Commissioner of Police.

18/10/08
(Mohmmad Sadique Israr Ahmed Shaikh)
Accused.

Before me,

(S.N.Chinchambekar.)
I/C: Chief Metropolitan Magistrate,
Esplanade, Mumbai.
Date: 18-10-2008.

Scanned with CamScanner

Ext-3726 (5)

भाग पहीला   दि.१५/१०/२००८

समक्ष श्री. विश्वास नांगरे पाटील/परिमंडळ — १ , मुंबई.

Ex.3726@ Portions "A" to "C"

गु.प्र.शा., गुन्हा नोंद क्र. १५२/२००८, (माटूंगा पो. ठाणे, गु. र. क्र. ३१४/२००८) कलम २९५(अ),५०५(पप),५०६(पप),५०७,१२०(ब),१२१,१२२,२८६ भा.दं.वि. सह कलम ३,२५ हत्यार कायदा सह कलम ६, ९ब फोटक अधिनियम १८८४ सह कलम ४,५ स्फोटक पदार्थाचा अधिनियम १९०८ सह कलम १०,१३ बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ सह कलम ६६ माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० सह कलम ३(१)(पप),३(२) व ३(४) महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी कायदा १९९९ मधील अटक आरोपीचा कबूली जबाब घेण्यासाठी मालमत्ता कक्ष, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.अ.वि., मुंबई पथकाचे पोलीस उप निरीक्षक संजय निकम व पथक यांच्या ताब्यातील आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, वय—३३ वर्षे याला आज दि.१५/१०/२००८ रोजी १६:१५ वा. त्याचा कबुली जबाब घेण्यासाठी बुरख्यामध्ये माझ्या कार्यालयात समक्ष हजर केले आहे. सदर वेळी मी आरोपीस बुरखा काढण्यास सांगितले.

सदर गुन्हयाचे संदर्भात मा. सह. पोलीस आयुक्त, (गुन्हे), बृहन्मुंबई यांचे कार्यालयीन पत्र जा. क्र. ८६१/०८ दिनांक १३/१०/२००८ याद्वारे वर नमुद आरोपीचा कबूली जबाब नोंद करण्याविषयी सांगण्यात आले होते.

मी माझे कार्यालयातील लघुलेखक नामे. हेमंत दळवी यांना बोलावून संगणकावर बाजूस बसण्यास सांगितले. पो. उप निरीक्षक संजय निकम व पथकास कार्यालयाचे बाहेर पाठवले. आता माझ्या कार्यालयात मी, लघुलेखक आणि आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, वय—33 वर्षे असे हजर आहेत. सदर वेळी आरोपीच्या हातात बेडी नसल्याची मी खात्री केली. मी बेल वाजवुन माझा पो. ना. क्र.३२९० माने यांना बोलावुन दरवाजा बंद करुन घेण्यास सांगितले व मी बोलाविल्या शिवाय इतर कोणालाही आत न सोडण्या बाबत सुचना दिल्या. लघुलेखकास मी आरोपीला विचारलेले प्रश्न व आरोपीने दिलेले उत्तर संगणकावर टंकलीखीत करण्यास सांगितले. तसेच आरोपी हिंदी भाषीक असल्याने मी त्यास प्रश्न हिंदीत विचारेन असेही सांगितले.

(१) सवाल : मेरा नाम विश्वास नांगरे पाटील है। मै बृहन्मुंबई के झोन—१ का पुलीस उपायुक्त हूँ। तुम्हें जिस गुनाहमें अभी गिरफ्तार किया गया है, उस केससे मेरा कोईभी संबंध नही है। यह बात आपके समझमें आयी है क्या?

जबाब : जी हाँ, मेरे समझ में आयी है।

(२) सवाल : तुम्हे जिन पुलिस अधिकारियोने गिरफ्तार किया है, उनकी हिरासत में अब तुम नही हो। तुम अभी मेरी हिरासतमें हो। यह बात तुम्हारी समझमें आयी क्या ?

जबाब : जी हाँ।

MCOC Case No. 21/06
Exhibit No. 3726
Judge
City Civil & Sessions Court

2355 29995

३) सवाल : आपके गिरफ्तारी या हिरासतके लिए जिम्मेदार पुलिस या अन्य व्यक्तियोंके खिलाफ बुरे बर्ताव के बारे मे कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकते हो।
जबाब : मुझे कोई शिकायत नही।

४) सवाल : आपका नाम और उमर क्या है?
जबाब : मेरा नाम मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख है। मेरी उम्र ३३ साल है।

५) सवाल : आप कहाँ रहते हो और क्या काम करते है?
जबाब : मै सी/आय/१९, चिता कँप, ट्रॉम्बे, बंबई—८८ इस पतेपर रहता हूँ। मै सी.एम.एस. कंम्प्युटर्स कंपनीमें एफ.एम.एस. ऑपरेटर पोस्टपें काम करता हूँ। इस कंपनीके माध्यमसे आदित्य बिर्ला रिटेल लिमिटेड, पहला माला, कार्पोरेट सेंटर, अंधेरी (ईस्ट), बंबई इस कंपनीमें मै काम करता 5 हूँ।

६) सवाल : आपकी पढाई कौनसी कक्षा तक हुई है? आपको कौनसी भाषाएँ समझमें आती है?
जबाब : मै मौलाना आझाद नॅशनल उर्दु युनिर्वसिटी, हैद्राबाद, यहाँसे एफ.वाय. बी.ए. तक पढा हूँ। मुझे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषां समझमें आती है।

७) सवाल : आपको यहाँ क्यू लाया है यह आपको पता है ?
जबाब : जी हाँ। मै मेरी मर्जीसे कबुली जबाब देना चाहता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ लाया है।

८) सवाल : मै आपकी जॉच परीक्षा करना चाहता हूँ। क्या आप उसके लिए राजी है ?
जबाब : जी हाँ। मै राजी हूँ।

९) सवाल : क्या आप अपनी खुदकी मर्जीसे और खुशीसे कबुली जबाब देना चाहते हो ?
जबाब : जी हाँ। मै अपनी मर्जीसे और खुशीसे कबुली जबाब देना चाहता हूँ।

१०) सवाल : आप किस गुनाहके बारेमे कबुली जबाब देना चाहते हो ?
जबाब : हमारे इंडीयन मुझाहिदीन संघटनने हिंदुस्थानमें जगह जगह कीए हुए बंम्ब धमाकोके बारेमें और उसके बारेमें जो ईमेल भेजे गये उसके बारेमें मै जबाब देना चाहता हूँ।

15/10/2008

Scanned with CamScanner

2356
29996 (7)

११) सवाल : कबुली जबाब देना आपके लिए बंधनकारक नहीं है। कबुली जबाब देनेकी या न देने की आपकी मर्जी है, यह आपके समझमे आया क्या ?

जबाब : जी हाँ। यह मेरे समझ में आया। मै अपनी राजी खुशीसे बयान दे रहा हूँ।

१२) सवाल : यदि आपने कबुली जबाब दिया तो वह लिखा जायेगा और वह जबाब अदालतमे आपके खिलाफ, आपके साथियो के खिलाफ, केस की साजिश करने वालोके खिलाफ, सबूतके तौरपर इस्तेमाल किया जायेगा। इस जबाब की वजहसे आप सबको अदालतमें सजा हो सकती है। यह बात आपकी समझमें आयी क्या ?

जबाब : जी हॉ। यह बात मेरे समझ में आयी है।

१३) सवाल : आपने मेरे सामने कबुली जबाब नही दिया तो भी तुम्हे वापस इस केसकी जॉच पडताल करनेवाले पुलिसवालो के पास नही सौपा जाएगा। इसकी जानकारी आपको मै देता हूँ ये आपके समझ में आया क्या ?

जबाब : जी हाँ। मै समझ गया।

१४) सवाल : क्या पुलीसने या किसी व्यक्तिने आपको कबुली जबाब देने कें लिए डराया अगर धमकाया है क्या ?

जबाब : मुझे किसीने भी कबुली जबाब देने कें लिए डराया अगर धमकाया नही है।

१५) सवाल : क्या पुलिसने या अन्य किसी व्यक्तिने ज़बाब देनेके लिए आपको लालच दिया है क्या ? अगर मजबूर किया है क्या ?

जबाब : जी नही। मुझे किसीने भी लालच नही दिया है या मजबूर नही किया है।

१६) सवाल : क्या पुलिसने या अन्य किसी व्यक्तिने कबुली जबाब देनेपर आपको इस मुकदमे में सरकारी गवाह बनानेका या इस गुनाहसे बरी करनेका कोई वादा किया है क्या ?

जबाब : नही। मुझसे किसीने भी इस प्रकार का कोई वादा नही किया है।

१७) सवाल : इतना बताने के बावजूद भी आप कबुली जबाब देना चाहते हो क्या ?

जबाब : जी हाँ। अब भी मेरी कबुली जबाब देने की इच्छा है।

१८) सवाल : कबुली जबाब देते वक्त कोई रिश्तेदार, दोस्त अगर वकील को आप हाजीर रखना चाहते हो क्या ?

जबाब : जी नही।

COURT OF THE SPECIAL JUDGE ... AFTER BOMBAY

१९) सवाल : कबुली जबाब देनेके पहले सोचनेके लिए आपको २४ घंटोका समय दिया जाता है। इस दौरान आपको मेरी हिरासत मे कुलाबा पुलिस स्टेशनके लॉकअपमे रखा जायेगा। इस दरमियान शांतीसे और ठंडे दिमागसे कबुली जबाब देने के बारेमे आप सोच लिजिए।

जबाब : जी हाँ।

वरिल सर्व प्रश्न आरोपीला हिंदीतून विचारण्यात आले. त्याने त्या प्रश्नांची उत्तरे हिंदीतून दिली. त्याने दिलेल्या उत्तराप्रमाणे त्याचा जबाब संगणकावर टंकलीखीत करण्यात आला. सदर जबाब आरोपीला वाचून समजावून सांगितला. त्याला विचार करण्यासाठी व मत परिवर्तन करण्यासाठी त्याला दिनांक १७/१०/२००८ रोजी १०:३० वा. पर्यत ४१ तासांची मुदत देण्यात आल्याची माहिती देवून त्याला दिनांक १७/१०/२००८ पर्यत माझ्या ताब्यात ठेवणार असल्याची मी समज दिली.

वरील जबाब दिनांक.१५/१०/२००८ रोजी १६:१५.वाजता सुरु करुन १७:३० वाजता संपविला.

समक्ष

पोलीस उप आयुक्त,
परिमंडळ —१, मुंबई.

(मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख)

नंतर मी आरोपीला माझ्या ताब्यात घेवून त्याची रवानगी कुलाबा पोलीस ठाणे, मुंबई च्या जनरल लॉकअप मध्ये रिकाम्या कोठडीत करण्यात येत आहे. व.पो.नि. कुलाबा, पोलीस ठाणे यांना हया आरोपीस गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथक (अभियान), गु.अ.वि., मुंबई येथील अधिकारी, अंमलदार व इतर कोणासही माझ्या परवानगीशिवाय भेटणार नाही, तसेच आरोपीस बुरख्यामध्ये ने आण करण्याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले.

समक्ष

पोलीस उप आयुक्त,
परिमंडळ —१, मुंबई.

GREATER BOMBAY

Ext. 3727 (238) 5 (24999) (9)

भाग दोन

दि.१७/१०/२००८

Ex.3727 @ Portions "A" to "E" @ Portions "A" to C & D.

गु.प्र.शा., गुन्हा नोंद क्र. १५२/२००८, (माटूंगा पो. ठाणे, गु. र. क्र. ३१४/२००८) कलम २९५ (अ), ५०५(२), ५०६(२), ५०७ , १२०(ब) १२१, १२२, २८६ भादवि सह कलम ३, २५ भारतीय हत्यार कायदा सह ६,९ब विस्फोटक अधिनियम १८८४ सह कलम ४, ५ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ सह कलम १०, १३ बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ सह कलम ६६ माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० सह कलम ३(१)(ii),३(२) व ३(४) महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी कायदा १९९९ मधील आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, वय ३३ वर्षे, याला अटक करण्यात आलेली आहे. सदर आरोपी याला दि.१५/१०/२००८ रोजी कबुलीजबाब नोंदविण्यासाठी माझ्या समोर हजर करण्यात आले होते. सदर वेळी आरोपीच्या कबुली जबाबाचा पहिला भाग नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर सदर आरोपीला विचार करण्यासाठी आज दि.१७/१०/२००८ पर्यत मुदत देण्यात आली होती. आज दि. १७/१०/२००८ रोजी १०:३० वा. माझ्या समोर कुलाबा पोलीस ठाण्याचे पोलीस उप निरीक्षक राहुल नाईक व पथकाने सदर आरोपीला महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियत्रण कायदा १९९९ कलम १८ नुसार कबुली जबाब नोंदविण्यासाठी माझ्यासमोर बुरख्यामध्ये हजर केले. मी आरोपीला बुरखा काढण्यास सांगितले.

A

मी आरोपीला हजर करणारे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना माझ्या कार्यालयातून बाहेर जाण्यास सांगितले. माझ्या कार्यालयात आता मी, लघु लेखक नामे हेमंत दळवी व आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, वय ३३ वर्षे, यांचे शिवाय इतर कोणीही नाही. आम्हाला कोणीही पाहणार नाही व आमचे बोलणे कोणीही ऐकणार नाही याची मी खात्री केली. आरोपी कोणत्याही दबावाखाली नाही याबाबतही मी खात्री केली. सर्व बाबींची पुर्तता झाल्यानंतर मी आरोपीला हिंदीतून प्रश्न विचारले व त्याने जी उत्तरे दिली ती जशीच्या तशी संगणकावर टंकलिखीत केली.

१) सवाल : आपको सोचने के लिए ४१ घंटे का समय दिया था। वो वक्त काफी था क्या?
जबाब : जी हाँ काफी था।

२) सवाल : आपको सोचने के लीए और कुछ वक्त चाहिए क्या?
जबाब : जी नही।

३) सवाल : आप मेरी अधिकारके पुलीस लॉकअप मे थे। तब गुन्हाकी जॉच पडताल करनेवाले पुलीस अधिकारी या अंमलदार आपको मिलने आए थे क्या?
जबाब : जी नही।

४) सवाल : आप अभीभी कबुली जबाब देना चाहते हो ?
जबाब : जी हाँ। मै अभीभी कबुली जबान देना चाहता हूँ।

B

COURT OF THE SPECIAL JUDGE GREATER BOMBAY

MCOC Case No. 21/06
Exhibit No. 3727

YDS SPCJ 4493
Sheristedar
City Civil and Sessions Court
Gr. Bombay

Scanned with CamScanner

2360 30000

५) सवाल : आपको कबुली जबाब देने के लीए किसीने कोई लालच या धमकी या मारपीट की है क्या?
जबाब : जी नही।

६) सवाल : आपको कबुली जबाब देने के लीए आपके उपर कानूनी कोई बंधन नही है । ये तुम्हे मालूम है क्या?
जबाब : जी हाँ। मालूम है।

७) सवाल : क्या पुलिसने या अन्य किसी व्यक्तिने कबुली जबाब देनेपर आपको इस मुकदमे में सरकारी गवाह बनानेका या इस गुनाहसे बरी करनेका कोई वादा किया है क्या ?
जबाब : नही। मुझसे किसीने भी इस प्रकार का कोई वादा नही किया है।

८) सवाल : यदि आपने कबुली जबाब दिया तो वह लिखा जायेगा और वह जबाब अदालत मे आपके खिलाफ, आपके साथियो के खिलाफ, केस की साजिश करने वालो के खिलाफ, सबूत के तौरपर इस्तेमाल किया जायेगा। इस जबाब की वजह से आप सबको अदालतमे सजा हो सकती है। यह बात आपकी समझमें आयी क्या ?
जबाब : जी हाँ। मुझे जानकारी है।

९) सवाल : आप कबुली जबाब देते वक्त आपका कोई दोस्त अगर वकील को हाजीर रखना चाहते हो क्या?
जबाब : नही।

१०) सवाल : आप कबुली जबाब क्यु देना चाहते हो?
जबाब : मुझे पछतावा हो रहा है इसलिए मै कबुली जबाब देना चाहता हूँ।

मी विचारलेल्या प्रश्नांना आरोपीने दिलेली उत्तरे ऐकून माझी खात्री व समाधान झाले की, आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, मु/वय ३३ वर्षे, हा स्वखुशीने कबुली जबाब देण्यास तयार आहे. म्हणून मी त्याचा कबुली जबाब घेण्याचे ठरविले.

११) प्रश्न : आप जो अभी मेरे सामने बतानेवाले हो वह मै आपकेही शब्दोमे टाईप करनेवाला हूँ । यह तुम्हे समझमे आया क्या?
उत्तर : जी हाँ।

मेरा नाम मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख है। मेरी उमर ३३ साल है। मै मेरे माँ बाप और भाई बहनो के साथ चिता कॅम्प, ट्रॉम्बे, बंबई मे रहता हूँ। मै ग्यारवीतक पढा हूँ। मैने हबीब टेक्नीकल इस्टीटयूट डोंगरी मे रेफ्रीजरेशन अॅन्ड एअरकंन्डीशनर कोर्स किया हैं। सन ९२/९३ मे बाबरी मस्जीद टुटनेसे और दंगल होनेसे मै बहोत दुखी था। तभी दुखसे मैने बाहर देशमे नोकरी करने के लिए पासपोर्ट निकाला था। मेरे इलाकेमे रहनेवाले महमद सलीम और बाकी लोग डॉ. तय्यबअली के दवाखाने के माळे पर सिमी

17/10/08

की मजलीस करते थे। उसमे मै जाता था। उसमे कुरान, हदिस, हिंदू—मुस्लिम दंगे, बाबरी मस्जीद शहीद होनेपर चर्चा होती थी। उसमे अब्दूस सुबान कुरेशी, तारीक इस्माईल, रियाझ भटकल और उसका भाई इक्बाल भटकल ये लोग भी आते थे। तभीसे मै उनको पहचानता हूँ।

सन—२००० मे मेरे भाभी मेहजबीनका फुफेरा भाई मुजाहीद सलीम हमारे घर में मिला था। तब हम दोनो मुस्लिम कौमपर होनवाले अत्याचारोंके बारेमे, श्रीकृष्ण कमिशन रिपोर्ट, बाबरी मस्जिद डिमोलेशन इस बारेमे बाते करते थे। मुजाहिद सलीमने उस वक्त आसिफ रझाका ई—मेल आय डी मुझे देकर उसे कॉन्टॅक्ट करनेको कहा था। हम दोनो ई—मेलके जरीए एक दुसरेके संपर्कमे थे। एक दिन उसने मुझे चिता कँप, चेंबूरमे मिलनेको कहाँ था। उसके कहने पर मै उसे चिता कँपमे मिला। इस वक्त हम दोनो के बिच जिहादके बारेमे काफी चर्चा हूई। आसिफने मुझे कलकत्ता मे टिपू सुलतान मस्जिद, धरमतला पर आने के लिए कहा। उसके दो तीन महिनेके बाद मै कलकत्ता गया और टिपू सुलतान मस्जिदमे अझहर नामके एक आदमी को मिला जिसका असली नाम आफताब अन्सारी था। आफताब अन्सारीने मुझे चार—पाँच दिन कलकत्तामे एक फ्लॅटमे रखा। उस वक्त उसने एक बंगाली लडका अब्दुल खालीकसे मुलाकात करवाई। अब्दुल खालीक के साथमे बॉर्डर क्रॉस करके मै बांगलादेशमें जयसोर मे गया। फिर जयसोर से बससे ढाका चला गया। ढाका मे इक्बाल नाम के आदमीके पास मुझे देढ—दो महिने रखा था। इक्बालने और चार बंगाली लडकोके साथ इमिरेट्सके फ्लाईटसे हमे कराची भेजा। उस वक्त उसने मुझे पाकिस्तानी बताकर मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट गुम होनेका कारन बताकर इमरजन्सी ट्रॅव्हल सर्टीफिकेट शाहदत हुसेन के नामसे बनवाकर मुझे पाकिस्तानी डिपोर्टी बनाकर कराची भेज दिया था। मेरे साथवाले बंगाली लडकोके पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। कराची मे फहाद नाम के आदमीने हमे रिसीव्ह किया और बहावलपूर के लिए बसमे बिठा दिया। बहावलपूरमे हमे एल.ई.टी. के ऑफीसमे लाया गया। वहाँ पे हमारी मुलाकात आजम चिमा से हुई। वहाँसे हमे मुजफ्फराबाद भेजा गया। मुजफ्फराबाद मे उमुलकुरा कॅम्प मे २०/२५ दिन हमे ट्रेनिंग दी गयी। ट्रेनिंग मे हमे पिस्टल, एके ४७, एल. एम. जी. यह वेपन खोलना, जोडना और चलाना सिखाया। उसके बाद हमे वापस बहावलपूर लाया गया और एक डेजर्ट एरिया एक साथ हमे एक्सप्लोसिव्ह, बम्ब बनानेका, स्विच टायमर, लोकल एक्सप्लोसिव्ह डिटोनेटर सर्कीट बनानेका ट्रेनिंग दिया गया। बहावलपुर जानेसे पहले इस्लामाबादमें चिता कँप, बंबईमें रहनेवाला मेरा दोस्त अन्सार बादशहा शेख मुझे मिला। उसके बाद मुझे अकेले पाकिस्तानके पासपोर्टपे मार्च—२००१ मे काठमांडू भेजा गया। वहाँ मेरी वापस मुलाकात अन्सार बादशहा शेखसे हुई। वो भी मेरी तरहा पाकिस्तानसे ट्रेनिग खतम करके आया था। काठमांडू मे ओवेस नाम के आदमी ने मेरा पासपोर्ट निकाल के लिया और उसके कुछ दिनके बाद हम लोग पटना होके अपने गाँव चले गये।

मै उस दरमियान मेरे गाँव पारा, ता.फुलपुर, जि. आजमगड मे तकरीबन दो महिना रहाँ। उस वक्त मै मेरे मांमा के गाँव संजरपुर मे आता—जाता था। तब मै सरायमीर कसबे मै ईलेक्ट्रीकल शॉप चलाने वाला आरिफ बदरसे मिलता था। हम दोनो सिमी संघटन्से जुडे होनेके कारन हमारे बिच मे दोस्ती हूई। पहचॉन बढने के बाद हमारे बिच मुस्लिमोंपर होनेवाले अत्याचारोंके बारेमे बातचित होती थी। आरिफ बदर को मैने खुद

पाकिस्तानमे ट्रेनिंग कि है ऐसा बताकर मुस्लिम भाईयोंकी हिफाजत के लिये और जिहाद के लिए पाकिस्तानमे ट्रेनिंग करने के लिए लडके भेजने चाहिए ऐसे बताया। इस सुझांव पे राजी होकर आरिफ बदरने पाकिस्तान ट्रेनिंगके लिए लडके तैयार करने का मुझे आश्वासन दिया।

त्यांनतर मला आरोपीने असे सांगितले कि, '' मुझे इससे आगे जबाब देनेके लिए और वक्त चाहीए '' त्याप्रमाणे मी आरोपीस विचारणा केली कि, ''तुम्हे कितना वक्त चाहीए ?'' त्यावेळी आरोपीने सांगितले कि, '' मुझे कल सुबह तक सोचने का वक्त दिजीए । '' त्यानुसार मी आरोपीला सांगितले कि, ''तुम्हे कल सुबह तक सोचने का वक्त दिया है और तब तक तुम्ह मेरी ही कस्टडी मे ही रहोंगे.''

मेरा जबाब मुझे पढके बताया। वह मेरे कहने के मुताबिक बराबर लिखा है।

17/10

(विश्वास नांगरे पाटील)
पोलीस उप आयुक्त,
परिमंडळ – १, मुंबई

आरोपीची सही 17/10/08

त्यांनतर मी कुलाबा पोलीस ठाण्याचे पोलीस उप निरीक्षक राहुल नाईक यांना बोलावुन आरोपीला त्यांचे ताब्यात देउन त्याला कुलाबा पोलीस ठाण्याचे कोठडीत ठेवण्याचे सांगुन उदया दि.१८/१०/२००८ रोजी सकाळी १०:३० वाजता आरोपीला जबाबासाठी परत हजर करण्याबाबत आदेशित केले.

COURT OF THE SPECIAL JUDGE GREATER BOMBAY

30093

30002 2363 159 13

भाग दोन चा पुढील जबाब दि.१८/१०/२००८

दि.१८/१०/२००८ रोजी १०:३० वा. माझ्या समोर कुलाबा पोलीस ठाण्याचे पोलीस उप निरीक्षक नितीन काकडे व पथकाने आरोपी मोहमंद सादीक इसरार अहमद शेख, मु.३३ वर्ष यास महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियत्रण कायदा १९९९ कलम १८ नुसार कबुली जबाब नोंदविण्यासाठी माझ्यासमोर बुरख्यामध्ये हजर केले. मी आरोपीला बुरखा काढण्यास सागितले.

मी आरोपीला हजर करणारे पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना माझ्या कार्यालयातून बाहेर जाण्यास सांगितले. माझ्या कार्यालयात आता मी, लघु लेखक नामे हेमंत दळवी व आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, वय ३३ वर्षे, यांचे शिवाय इतर कोणीही नाही. आम्हाला कोणीही पाहणार नाही व आमचे बोलणे कोणीही ऐकणार नाही याची मी खात्री केली. आरोपी कोणत्याही दबावाखाली नाही याबाबतही मी खात्री केली. सर्व बाबींची पुर्तता झाल्यानंतर मी आरोपीला हिंदीतून प्रश्न विचारले व त्याने जी उत्तरे दिली ती जशीच्या तशी संगणकावर टंकलिखीत केली.

१) सवाल : आपने सोचने के लिए जो वक्त मांगा था। वो वक्त काफी था क्या?
जबाब : जी हॉ काफी था।

२) सवाल : आपको सोचने के लीए और कुछ वक्त चाहिए क्या?
जबाब : जी नही।

३) सवाल : आप मेरी अधिकारके पुलीस लॉकअप मे थे। तब गुन्हाकी जॉच पडताल करनेवाले पुलीस अधिकारी या अंमलदार आपको मिलने आए थे क्या?
जबाब : जी नही।

४) सवाल : आप अभीभी कबुली जबाब देना चाहते हो ?
जबाब : जी हाँ। मै अभीभी कबुली जबाब देना चाहता हूँ।

५) सवाल : आपको कबुली जबाब देने के लीए किसीने कोई लालच या धमकी या मारपीट की है क्या?
जबाब : जी नही।

६) सवाल : आपको कबुली जबाब देने के लीए आपके उपर कानूनी कोई बंधन नही है । ये तुम्हे मालूम है क्या?
जबाब : जी हाँ। मालूम है।

७) सवाल : क्या पुलिसने या अन्य किसी व्यक्तिने कबुली जबाब देनेपर आपको इस मुकदमे में सरकारी गवाह बनानेका या इस गुनाहसे बरी करनेका कोई वादा किया है क्या ?

COURT OF THE SPECIAL JUDGE GREATER BOMBAY

जबाब : नही। मुझसे किसीने भी इस प्रकार का कोई वादा नही किया है।

८) सवाल : यदि आपने कबुली जबाब दिया तो वह लिखा जायेगा और वह जबाब अदालत मे आपके खिलाफ, आपके साथियो के खिलाफ, केस की साजिश करने वालो के खिलाफ, सबूत के तौरपर इस्तेमाल किया जायेगा। इस जबाब की वजह से आप सबको अदालतमे सजा हो सकती है। यह बात आपकी समझमें आयी क्या ?

जबाब : जी हाँ। मुझे जानकारी है।

९) सवाल : आप कबुली जबाब देते वक्त आपका कोई दोस्त अगर वकील को हाजीर रखना चाहते हो क्या?

जबाब : नही।

१०) सवाल : आप कबुली जबाब क्यु देना चाहते हो?

जबाब : मुझे पछतावा हो रहा है इसलिए मै कबुली जबाब देना चाहता हूँ।

मी विचारलेल्या प्रश्नांना आरोपीने दिलेली उत्तरे ऐकून माझी खात्री व समाधान झाले की, आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, मु/वय ३३ वर्षे, हा स्वखुशीने कबुली जबाब देण्यास तयार आहे. म्हणून मी त्याचा पुढील कबुली जबाब घेण्याचे ठरविले.

११) प्रश्न : आप जो अभी मेरे सामने बतानेवाले हो वह मै आपकेही शब्दोमे टाईप करनेवाला हूँ । यह तुम्हे समझमे आया क्या?

उत्तर : जी हाँ।

मै शुरुमे सायबर कॅफे मे जाकर ई–मेल चेक करता था। अजीज भाई नाम का आदमी ई–मेल के जरीए मेरे संपर्कमे था। ट्रेनिंगके बाद पैसोंकी तंगी के कारन ई–मेलपे मै बहुत कम संपर्क करता था। इसलिए अजीजने मुझे पुछनेके बाद मैने पैसोकी तंगीका कारण बताया। तब उसने मुझे दुबईमे काम करनेके बारेमे पुछा। मैने उसे हाँ बोला और उसने मुझे नोकरी का इंतजाम होनेके लिए थोडे दिन रूकने के लिए कहाँ। मुजाहीद सलीम हैदराबादमे पोलीस फायरींगमे मारा गया। अजीजने जुन–जुलै २००२ मे मेरी पासपोर्ट कॉपी मंगवाँई। वो मैने ई–मेल से स्कॅन करके भेज दी। एक महीने के बाद २०,००० रूपया और दुबई का टयूरीस्ट व्हीसा उसने भेज दिया। मै ऑगस्ट २००२ मे दुबई चला गया। दुबई जानेके बाद मै अजीजके कहनेके मुताबीक डेरा, दुबईके मेहराज हॉटेलमे रूका था। वहाँसे मैने अजीजभाईको ई–मेल किया। तभी अमीररजाने ई–मेलसे मुझे यह बताया कि दुबई में किसी हॉटेल मे रुकने के बाद हॉटेल का नाम, रुम नंबर और उस हॉटेल का फोन नंबर ई मेल करके बता देना । मैने तुरन्त उसको ई मेल करके मेहराज हॉटेल का रुम नंबर व फोन नंबर बता दिया । बादमे हिरो नामका आदमी मुझे डेरा, दुबई लेके गया। वहाँ क्लॉक टॉवर्स, सुपर मार्केट एरीयामे उसने मेरे रहनेका ईतजाम किया था। एक सव्वा महीने के बाद अजीजभाईने मुझे एअरपोर्टपे बुलाया। तभी रियाझ

18/10/08

भटकल मुझे मिला। तभी रियाज भटकलने मुझे बताया की, उसका ही नाम अजीजभाई है। फिर मै उसके साथ रहने लगा। हम दो तीन–दिन के बाद फिश सर्कल मे आसिफ रजा का भाई आमीर रझा को जाके मिले और वापस हम तीनो घरपे आये। रियाझ बादमे मुंबई आया। उसके बाद महमद याहया इस पाकीस्तानी आदमी को रिझवान रूम पे लेके आया। दोनो ने शारजा मे ''याहया इलेट्रॉनिक्स्'' नामका दुकान चालू किया। उस दुकानमे हम तिन्हो सेल्समनका काम करते थे। आमीर रझाकी पाकीस्तान आर्मी के साथ पहचान थी और वो रियाझके साथ संपर्क मे था। उस वक्त रियाझने कुछ लडकोको पाकीस्तान मे ट्रेनिंग के लिए भेजा था ऐसा मेरे सुनने में आया था। मेरा टुरिस्ट व्हीजा खतम होने के बाद दुसरा व्हीजा मिलने तक मै इरान मे किश आयलन्डपे रहता था। उसके बाद आठ महिना आमिर रजा और मोहम्मद याहया के दुकानपे नोकरी करने के बाद मै हिदुस्थान वापस आया। लखनौ से मै सिधा मेरे गॉव चला गया। हिंदूस्थान आते समय आमिर रजाने मुझे बताया की, हमे एक बडा ग्रुप बनाना है। उसके लिये लडके तैयार करने हैं।

गॉव जानेके बाद मै सरायमीर मे आरिफ बदरसे मिला तभी आरिफ बदरने मुझे बताया की, उसने कुछ लडकोंसे बाते कि है वह लडके पाकिस्तान मे जाकर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। इस बातसे खुश होकर मैने आरिफ बदरको १०,०००/–रुपये देके पाकिस्तान मे ट्रेनिंग के लिए जानेवाले लडकोंका पासपोर्ट तैयार रखने को कहॉ। उसी दौरान आझमगढ मे डॉ.शहानवाझ से पहेचान हुई थी । मैने आरिफ बदर को दुबई मे संर्पकके लिए फोन नंबर दिया। कुछ दिनोके बाद मै वापस दुबई चला गया।

मै दुबई जानेके बाद सन–२००३ मे डॉ शहानवाझ और राशीद दुबई आये थे। वहासे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे शहानवाझ, मै और राशीद कराचा म गय। एअरपोर्ट से राशीद और शहानवाझ ट्रेनिंग सेंटर पे गये। वहासे मै कराची मे डिफेन्स कॉलनी मे छह दिन रहा। वहापे मेरी कर्नल आतिफ से मुलाकात हुई। कर्नल आतिफने मुझे दो एनव्हलप दिये थे और वो एनव्हलप दुबईमे आमिर रझा को देने के लिए कहा था। उसके बाद मै वो एनव्हलप लेके दुबई मे आमिर रझा को दे दियें। आमीर रझा उर्फ रिझवान को पाकीस्तान आर्मी के बडे अफसर हिंदुस्थानमें आतंकवादी कारवाई करने के लिए काफी पैसा देते थे। डॉ शहानवाझ और रशिद ४५ दिन की ट्रेनिग लेकर वापस गये। उनके बाद आरिफ बदरने मोहम्मद अकमल और मोहम्मद माजीद इन लडकोंको ट्रेनिंगके लिए दुबई भेज दिया। मगर मोहम्मद अकमल दुबईसे वापस हिंदूस्थान आया। फिर मैने वहॉसे मोहम्मद माजीद को अमीर रझा के जरीए ट्रेनिंगके लिए पाकिस्तान भेज दिया।

सन–२००३ के आखिरमे मै वापस हिंदूस्थान आया। सन–२००४ मे मै आजमगड गया था। तभी आरिफ बदरने मेरी पहचॉन आतिफ शेख, जाकीर शेख और शरफुद्दीनसे करवायी थी, और यह लडके पाकिस्तान ट्रेनिंग करने को तैयार है ऐसे बताया। मैने पहले आतिफ शेख और शरफुद्दीन इन दोनोंको अमीर रझा के जरीए ढाका, बांगलादेशसे पाकिस्तान ट्रेंनिगके लिए भेज दिया। दो महिने के बाद वह लडके ट्रेनिंग करके वापस हिंदूस्थान आ गये।

सन २००४ मे हिंदूस्थान आनेके बाद मै, आमीर रझा को आझमगढके चौकसे शिवम सायबर से संपर्क करता था। उस वक्त हम कोड भाषामे बात किया करते थे।

30006

आरिफ बदरने पहचान करके दिये हुए आतिफ के जरीए आझमगढ के सरवर, असद, शादाब, आरिझ, शकिल, डॉ.शहानवाझ का भाई रौफ और साकीब इन लडकोंसे मेरी पहचान हुई और डॉ. शहानवाझ के जरीए उनके गॉवका बंबई मे रहनेवाला अबू राशीद, इससे मेरी पहचान हुई। मई—२००५ मे मैने आरिफ बदर और उसका दोस्त जाकीर इन दोनोंको ढाका, बागलादेशसे पाकिस्तान ट्रेनिंगके लिए भेजा था। यह दोनो ट्रेनिंग करके जुलै २००५ मे वापस आये थे।

हमारे संघटन ने आजमगढ से करीब १३—१८ लडके मेरे साथ थे। वैसेही रियाज भटकल के साथ पुना, बॅगलोर और मॅगलोर के लडके रहते थे। रियाज भटकल का भाई ईक्बाल भटकल यह भी रियाज के साथ हमारे संगठन मे सामील है। आमीर रझा हमे वेस्टर्न युनियन ट्रान्सफर मनी और हवाले के जरीए जरूरत के मुताबीक पैसा भेजता था।

जब कुछ लडके पाकिस्तान से ट्रेनिग करके आये तब आमिर रझा ने मुझे काम दिखाने को कहा। मैने रियाज भटकल, आरिफ बदर, आतिफ, डॉ.शहानवाज, और बाकी सारे लडको की मददसे दिल्ली का गोविंदपुरा, वाराणसी का संकटमोचन मंदिर, श्रमजीवी एक्सप्रेस, बम्बई रेल्वे ब्लास्ट इन जगाहो पर काफी सारे बम्ब ब्लास्ट अमीर रझा के कहने पर करवाये। उसके बाद मुझे दो जुडवा लडकीया हो गयी उसके बाद मुझे बम्ब ब्लास्ट मे मरने वाले लोंगो कि कहानीया न्युज पेपर और टि.व्ही पर सुनने और देखने कों मिलने के बाद मुझे मेरी गलतियों का ऐहसास होने लगा। उसी वजह से मै मेरे ग्रुप को पुरा वक्त नही दे पा रहा था । उसके बाद गोरखपुर, हैद्राबाद, उत्तर प्रदेश के कोर्टो मे, जयपूर, अहमदाबाद, सुरत, दिल्ली इन जगाहो पर मेरे ग्रुप के आतिफ, रियाझ भटकल, आरिफ बदर, डॉ.शहानवाझ और बाकी लडकों कि मदद से काफी सारे बम्ब ब्लास्ट करवाये। उसमे से सुरत का बम्ब ब्लास्ट नाकामयाब रहा। यह सारे बम्ब ब्लास्ट फरवारी २००५ से सितबर २००८ तक हम लोग करवाते रहे। इन सब ब्लास्ट मे आमिर रझा हमे रियाज भटकल और उसके लडके के मदद से एक्सप्लोजिव्ह और अन्य मटेरियल भेजता था। आरिफ बदर क्लॉक टायमर सर्कीट बनाता था। मै, आरिफ बदर, रियाज भटकल और आतिफ बम्ब और सर्कीट बनाना जानते थे।

हिन्दुस्थान मे हमारी दहशत करने के लिए रियाज भटकल के कहने से हम लोगोने हमारे संघटन का इंडियन मुजाहीदीन यह नाम रखकर करीब एक साल से मिडीया को ई—मेल भेजना शुरू कर दिया था।

अगस्ट—२००७ मे रियाज ने मुझे फोन करके बंबई मे एक्सप्लोजिव्ह का डिलीव्हरी लेने को कहा और उसने मुझे डिलीव्हरी देनेवाले आदमी का फोन नंबर दिया था। मैने अबु रशिद और साजिद को रियाज ने दिया हुआ फोन नंबर देकर उनको डिलीव्हरी लेने को कहा। अबु रशिद और साजिद ने डिलीव्हरी लेके वह एक्सप्लोजिव्ह साजिद के घर पर अंधेरी मे रखा था। दो दिन के बाद आतिफ ने आकर वह एक्सप्लोजिव्ह अंधेरी से लेकर दिल्ली चला गया था।

जून २००८ मे रियाजने मुझे मेरे मोबाईल पे संपर्क करके मुझे अंधेरी मॅक—डोनाल्ड मे बुलाया। मै शाम के करीब सात बजे वहापर पहुॅच गया। उस वक्त रियाज के साथ

COURT OF THE SPECIAL JUDGE GREATER BOMBAY

18/10/08

30007

30007 6367 163 (1)

आतिफ मौजुद था। हम तिनो चलते एस.व्ही.रोड की तरफ आये। वहाँ पर एक बिल्डीग के कंम्पाउन्ड मे खडे रहकर हम लोग बात करने लगे। उस वक्त रियाजने हमे ऐसे बताया की, गुजरात में अहमदाबाद और सुरत मे ब्लास्ट का बडा प्लान उसने बनाया है और उसमे हम सबको काम मे उतरना है। रियाजने ये भी बताया की उसके पास काफी पढे–लिखे लडके है और बंम्ब ब्लास्ट होने के पहले ही मिडीया को ई–मेल भेजा जायेगा। इस ब्लास्ट मे रियाज कार का इस्तेमाल करनेवाला है यह भी बताया था। सुरत मे रियाज की टीम रहेगी और अहमदाबाद मे आतिफ उसके टीम के साथ रहेगा। आतिफ को रियाज का एक लडका सपोर्ट करेगा। रियाजने मुझे आरिफ बदर से पचास क्लॉक टायमर्स बनाके चाहीए ऐसे बताकर मुझे पैसे दिए। रियाजने ये भी बताया की सुरत ब्लास्ट मे वो डिजीटल टायमर का इस्तेमाल करनेवाला है। उस वक्त मेंरी पिताजी कि तबीयत बहोत खराब थी इसलिए मैंने रियाज को बताया कि मुझे बार बार गांव जाना पडता है, काम से छुटी नही मिलती इसिलिए मै सुरत और अहमदाबाद काम के लिए खुंद नही आ सकता। इसलिए रियाज ने मुझे कुछ और लडको का बंदोबस्त करने के लिए कहा था।

इस मिटींग के दो–तीन दिन के बाद मै आरिफ बदर को कुर्ला जाकर मिला। वहाँ से मैंने रियाज को फोन लगाकर उसको टायमर के बारे मे पुछा। उसके बाद मैने आरिफ को बाईसौ रूपये देकर उसे दुसरे दिन दोपहर मे दो बजे कल्पना टाकीज, कुर्ला मे बुलाया। मैने आरिफ बदर को रियाज के बारे मे जानकारी दी थी। दुसरे दिन मै आरिफ को लेकर भेंडी बझार लेके गया, और दुर से उसे घडी की दुकान दिखाई। आरिफ बदरने करीब दो दिन के बाद मुझे फोन करके उसने पुचार घडी खरीद ली है, ऐसे बताया। मैने आरिफ को रियाज का ९७३०३१३९२९ यह नंबर देकर उस को पुना जाने को कहाँ। करीब २० जून को आरिफने मुझे फोन करके उसने रियाज का काम कर दिया है, ऐसे बताया।

सितंबर महीने तक मै आमीर रझा के साथ ई–मेल से संपर्क करता था। आमीर रझा की ई–मेल आय.डी zubair777888@yahoo.com और मेरी ई–मेल आयडी zubair7788@yahoo.com और मेरा पासवर्ड Munnabhai ऐसा था। हम लोग ई–मेल पे पुलीस को मामू/चाचा, किसीको पकडा तो गेस्ट हाऊस मे गया, एक्सप्लोसीव्ह को मटेरीअल, ब्लास्ट करने के लिए शॉप ओपन करना है, ऐसे कोड वर्डसे संदेश भेजते थे। इन सब कारवाई के दरमीयान मेरा मोबाईल नंबर ९९६९५०६११२, डॉ. शहानवाज का मोबाईल नंबर ०९४१५८३५२४१, अबू रशिद का मोबाईल नंबर ९८२०८०५३९०, रियाज भटकल का मोबाईल क्र. ९७३०३१३९२९, सैफ का मोबाईल क्र. ९४५५३७५८५१९, आरीफ बदर का मोबाईल क्र. ९८७०९११३५० ऐसे थे। हम एक दुसरे के मोबाईल फोन पे अपने मोबाईल फोन से कभी बात नही करते थे। जब भी हमे संपर्क करना है तो हम लोग पी.सी.ओ. या एस.टी.डी. बुंथ से संपर्क करते थे। मै जादातर, मरोळ पाईप लाईन एरिया के पि.सी.ओ.और एस.टी.डी. बुथसे मै हमारे संघटन के लडकोंके संपर्क मे रहता था।

COURT OF THE SPECIAL ... FOR BOMBAY

Scanned with CamScanner

2368 / 469

30008

दिल्ली घटना के कुछ दिन बाद रियाज ने मुझे कुछ गडबड है ऐसे बताया, इसलिए मैने काम पे जाना बंद कर दिया। २४ सितंबर को पुलीसने मुझे और आरिफ को नेहरूनगर, कुर्ला मे गिरफ्तार किया था।

मेरा जबाब मुझे पढके बताया। वह मेरे कहने के मुताबिक बराबर लिखा है।

18/10

(विश्वास नांगरे पाटील)
पोलीस उप आयुक्त,
परिमंडळ – १, मुंबई

18/10/08
आरोपीची सही

प्रमाणपत्र

(महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ कलम १८ नुसार)

गु.प्र.शा. गुन्हा नोंद क्र. १५२/२००८, (माटूंगा पो. ठाणे, गु.र.क्र. ३१४/२००८) कलम २९५ (अ), ५०५(२), ५०६(२), ५०७ , १२०(ब) १२१, १२२, २८६ भादवि सह कलम ३, २५ भारतीय हत्यार कायदा सह ६,९ब विस्फोटक अधिनियम १८८४ सह कलम ४,५ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ सह कलम १०, १३ बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) अधिनियम १९६७ सह कलम ६६ माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० सह कलम ३(१)(ii),३(२) व ३(४) महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी कायदा १९९९ मधील मधील आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख याला माझ्या समोर कबुली जबाब नोंदविण्याकरीता आज दिनांक १७/१०/२००८ रोजी हजर करण्यात आले होते. मी सदर आरोपीस समजावुन सांगीतले की, कबुली जबाब देणे त्यास बंधनकारक नाही. जर तो कबुली जबाब देत असेल तर तों त्याच्या विरुध्द ,सार्थीदाराविरुदध, गुन्हयाचा कट करणारा विरुदध तसेच गुन्हयास सहाय्य करणा–याविरुदध पुरावा म्हणुन न्यायालयात वापरला जावु शकतो. आरोपीने जो कबुली जबाब दिला आहे तो त्याच्या मर्जीने व स्वखुशीने दिला आहे, अशी माझी खात्री आहे. कबुली जबाब नोंद करतेवेळी माझ्या सोबत माझा लघुलेखक हेमंत दळवी आणि आरोपी मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख, ३३ वर्षे, यांच्या व्यतीरीक्त इतर कोणीही हजर नव्हते. माझ्या समक्ष संगणकावर सदर कबुली जबाब टंकलीखीत केला असुन तो आरोपीच्या सांगण्यानुसार बरोबर आहे. मी कबुली जबाब आरोपीला वाचुन दाखवून तो समजावून सांगीतला, तो आरोपीच्या सांगण्यानुसार बरोबर, पुर्ण व खरा असल्याचे त्याने मान्य केले आहे.

सदर कबुली जबाब दिनांक १७/१०/२००८ रोजी १०:३० वाजता सुरु करुन आरोपीच्या सांगण्यावरुन जबाब नोंदवण्याचे काम १४:३५ वाजता थांबवले व त्याने पुढील जबाब नोंद करण्यासाठी मागितलेला वेळ अदा करुन दिनाक १८/१०/२००८ रोजी सकाळी १०:३० वाजता जबाबाचा पुढील भाग नोंदविण्यास सुरु करुन १४:१० वाजता जबाब संपविला.

DY. COMMISSIONER OF POLICE
सत्यमेव जयते
ZONE I, MUMBAI

18/10

(विश्वास नांगरे पाटील)
पोलीस उप आयुक्त,
परिमंडळ –१, मुंबई.

COURT OF THE SPECIAL JUDGE
GREATER BOMBAY

Seen